

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 429/2013
संस्थित दिनांक 06.08.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
अंजड़, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

- **अभियोगी**

वि रू द्ध

महेश पिता जयजय उर्फ विजय,
आयु 22 वर्ष, निवासी राजपुर रोड अंजड़

- **अभियुक्त**

<i>अभियोजन द्वारा एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी</i>
<i>अभियुक्त द्वारा अभिभाषक - श्री विशाल कर्मा</i>

-: **नि र्ण य :-**

(आज दिनांक 21-06-2017 को घोषित)

01- पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 162/2013 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 10.06.2013 को 11:00 बजे राजपुर रोड गफुर लौहार के घर के सामने अंजड़ में लोक मार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल हीरो होण्डा पेशन क्रमांक एम. पी-46-एम-सी-0978 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत गोलु का मानव जीवन संकटापन्न करने और उसी समय उक्त वाहन मोटरसाईकिल को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत गोलु को टक्कर मारकर उपहतियां कारित करने के आधार पर, भादवि की धारा 279, 337 का अभियोग है।

02- प्रकरण में एकमात्र स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.06.2013 को लगभग 11:00 बजे थाना अंजड़ के सहायक उपनिरीक्षक गजानंद सोनी को आहत गोलु की प्री एम एल सी जॉच हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा साक्षी रवि के कथन लेने पर उसने बताया कि वह मार्केट से उसके घर जा रहा था तभी राजपुर रोड गफुर लोहार के घर के सामने आरोपी अपने वाहन मोटरसाईकिल हीरो होण्डा पेशन क्रमांक एम. पी-46-एम-सी-0978 को तेज गति व रफ्तार से चलाकर लाया और शहर तरफ से आ रहे गोलु को टक्कर मार दी जिससे उसके बांये पैर के घुटने, पंजे, दाये आँख के तरफ दाढ़ी पर चोटें लगी तथा आरोपी को भी चोटें आई फिर मौके पर खड़े जंजय कहार व लोगों ने देखा व अस्पताल बड़वानी पहुंचाया। उक्त जॉच के आधार पर थाना अंजड़ पर अपराध क्रमांक 162/2013 दर्ज कर विवेचना के दौरान घटना स्थल का

नक्शा मौका बनाया गया, मोटरसाईकि क. एम.पी. 46 एम.सी 0978, बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं आरोपी का ड्राईविंग लाईसेंस जप्त कर, फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर, पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 279, 337 के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 10.06.2013 को 11:00 बजे राजपुर रोड़ गफुर लौहार के घर के सामने अंजड़ में लोक मार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल हीरो होण्डा पेशन क्रमांक एम.पी-46-एम-सी-0978 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत गोलु का मानव जीवन संकटापन्न किया ?
(ii)	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन मोटरसाईकिल को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत गोलु को टक्कर मारकर उपहतियां कारित कर?

— विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष —

06— उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने के लिए तथा सुविधा की दृष्टि से इनका निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

07— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी फरियादी गोलु (अ.सा. -1) का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। लगभग 3 वर्ष वह उसकी मोटरसाईकिल से दुध लेकर घर जा रहा था तभी गफुर लोहार के घर के सामने पहुंचा तभी राजपुर रोड़ की ओर से एक मोटरसाईकिल चालक मोटरसाईकिल को लापरवाही पूर्वक लहराता हुआ लाया और उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिससे उसे पैर के पंजे, घुटने एवं आंख में चोट आई, उसका ईलाज बड़वानी एवं धुलिया अस्पताल में हुआ था। साक्षी को अभियोग की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने प्रदर्श पी 1 के कथन में ए से ए भाग पर पुलिस को आरोपी महेश पिता जयजय कहार के द्वारा मोटरसाईकिल तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मारने वाली बात बाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह आरोपी को जानता है इसलिये उसे बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है।

08— साक्षी रवि कुशवाह (अ.सा.2) एवं उदित (अ.सा.3) ने फरियादी गोलु (अ.सा.1) के कथनों का समर्थन करते हुए फरियादी की मोटरसाईकिल को आरोपी द्वारा अपनी मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मारने तथा फरियादी का बड़वानी तथा धुलिया अस्पताल में ईलाज होने के संबंध में कथन किये हैं तथा उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि वे आरोपी को नहीं जानते हैं तथा उन्होंने मोटरसाईकिल चलाने वाले व्यक्ति को नहीं देखा तथा मोटरसाईकिल का नंबर भी नहीं देखा था। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने अपने कथनों में पुलिस को आरोपी महेश का नाम बताने तथा टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल हिरोहोण्डा क.एम.पी. 46 एम.सी. 0978 बताने से इंकार किया है।

09— साक्षी संदीप जाधव (अ.सा.5) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। लगभग 3 वर्ष पूर्व वह घर पर था तब उसके दोस्त ने फोन पर बताया था कि महेश का एक्सीडेंट हो गया है। गफुर लोहार के घर के सामने घटना स्थल पर महेश बेहोशी की अवस्था में पड़ा था। उक्त साक्षी को भी अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने दिनांक 09.06.2013 को मोटरसाईकिल क. एम.पी. 46 एम.एल. 0978 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर गोलु को टक्कर मारी। यहां तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी 6 के कथन में भी उक्त बातें बताने से स्पष्ट इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके पास फोन आया था कि महेश का एक्सीडेंट हुआ है।

10— साक्षी पण्डू कदम (अ.सा.4) का कथन है कि उसने दि. 11.06.2013 को थाना अंजड़ के अपराध क्र. 162/13 में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क. एम.पी. 46 एम.एल. 0978 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर वाहन के सभी पुर्जे चालू अवस्था में होना तथा उसमें कोई भी तकनिकी त्रुटी नहीं होना पाई थी तथा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 को प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने यांत्रिकीय परीक्षण किये जाने के संबंध में कोई भी डिप्लोमा नहीं किया है।

11— साक्षी प्रमोद कुमार (अ.सा.-6) का कथन है कि दिनांक 10.06.2013 को थाना अंजड़ के अपराध क्र. 162/13 की केस डायरी अनुसंधान हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मोटरसाईकिल क.एम.पी. 46 एम.सी. 0978, बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं आरोपी का ड्राईविंग लाईसेंस जप्त कर प्रदर्श पी 7 का जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा फरियादी एवं साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 सहा. उपनिरीक्षक श्री गजानंद सोनी द्वारा लिखी है, जिसके ए से ए भाग पर श्री गजानंद सोनी के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने उनके साथ लगभग दो वर्ष तक काम किया था

इसलिये वह उनकी लिखावट को पहचानता है।

12— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे किसी भी साक्षी ने कोई कथन नहीं दिये थे तथा सभी साक्षियों के कथन अपने मन से लेखबद्ध कर लिये हैं तथा वह असत्य कथन कर रहा है।

13— अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन से जबकि प्रकरण में के आहत तथा किसी भी अन्य साक्षी ने आरोपी द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटरसाईकिल क्र.एम.पी. 46 एम.सी. 0978, को लोक मार्ग पर तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने और उक्त मोटरसाईकिल को चलाकर फरियादी गोलु का मानव जीवन संकटापन होकर उसे उपहति कारित हुई, इस संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं। यहां तक कि, आरोपी द्वारा घटना के समय उक्त मोटरसाईकिल को चलाने के संबंध में भी अभियोजन की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन की उपरोक्त प्रस्तुत समस्त साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटरसाईकिल क्र.एम.पी. 46 एम.सी. 0978 को लोक मार्ग पर तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर फरियादी गोलु की मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर उसका मानव जीवन संकटापन्न उसे उपहतियां कारित की।

14— अतः उपरोक्तानुसार अभियोजन अपनी ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य व उसके विवेचन से आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 279, 337 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त महेश पिता जयजय उर्फ विजय, आयु 22 वर्ष, निवासी राजपुर रोड अंजड़ को भादवि की धारा 279, 337 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित करता है।

15— अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्र.एम.पी. 46 एम.सी. 0978, पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी/सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दनामा, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नियमानुसार उसी के पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.